सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3698/JH/90/2024-ESDW-RU-IV दिनांक: 18/07/2025

सेवा मे,

उपायुक्त
जिला - रांची,
कचहरी चौक ब्लॉक- बी,
कमरा नंबर-504,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: आदिवासी जमीन पर दखल दिलाने के संबंध में – श्रीमती नूतन पहान पति श्री रामचरण पहान, ग्राम-हरातु पोस्ट व थाना-टाटी सिलवे, जिला-रांची (झारखंड़) का आयोग में प्राप्त दिनांक 25.10.2024 का पत्र अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

Encl: as above

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24615012
ई-मेल: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती नूतन पहान,
पति श्री रामचरण पहान,
ग्राम – हरातु, पोस्ट एवं थाना – टाटी सिलवे,
जिला – रांची (झारखंड)
मोबाइल नं.: 7808218205

(ii) O/o the Hon'ble Member (Dr. AL)
(iii) NIC for uploading

NCST/DEV-3698/JH/90/2024-ESDW

श्रीमती नूतन पहान पति श्री रामचरण पहान, ग्राम-हरातु पोस्ट व थाना-टाटीसिलवे, जिला-रांची (झारखंड़) के अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक15.07.2025को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्यडॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुईसिटिंग / सुनवाई का कार्यवृत्त।

सुनवाई की दिनांक व समय : 15.07.2025 को अपराह्न 12:20बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : संलग्नक-I के अनुसार

श्रीमती नूतन पहान पति श्री रामचरण पहान, ग्राम-हरातु पोस्ट व थाना- टाटी सिलवे, जिला-रांची (झारखंड़) दिनांक 25.10.2024 का अभ्यावेदन आयोग में प्राप्त हुआ है । इसमें श्रीमती नूतन पहान ने आदिवासी जमीन पर दखल दिलाने के संबंध में आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके निराकरण का अनुरोध किया है।उनका कहना है कि उनके खाता संख्या 64 (प्लॉट -42, रकवा 6 डी) भूमि पर एस .ए.आर वाद संख्या 5/21-22 में दिनांक 11.03.2022 को भूमि वापसी का आदेश पारित हुआ था।हालांकि, आदेश पारित हुए दो वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी अंचल कार्यालय द्वारा अब तक जमीन की वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इससे उन्हें मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में दिनांक 17.12.2024 को उपायुक्त रांची को नोटिस जारी किया गया। आयोग के नोटिस के संदर्भ में उपायुक्त रांची से कोई रिपोर्ट प्राप्त न होने एवं शिकायतकर्ता के अनुरोध पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पहली सुनवाई दिनांक 30.05.2025 को आयोजित की गयी थी परंतु संबन्धित पदाधिकारी की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई सम्पन्न नही हुई । मामले की गंभीरता को देखते

आशा लकड़ा

हुए पुनः सुनवाई दिनांक 15.07.2025 को निर्धारित की गयी। तदनुसार संबन्धित पदाधिकारी को समन जारी किए गए।

3. प्रकरण की सुनवाई में आयोग के समक्ष उपायुक्त रांची अनुपस्थित रहे। शिकायतकर्ता सुनवाई में video Conference के जरिये उपस्थित रहे और उन्होंने अपने प्रकरण को विस्तार से प्रस्तुत किया जिसमे शिकायतकर्ता ने बताया की एस.ए .आर कोर्ट से दिनांक 11.03.2022 को अवैध कब्ज़ा हटाने हेतु आदेश जारी किया गया था जिसके अवलोकनार्थ तीन बार अप्रार्थी को नोटिस भी जारी किया गया था एंव उसके पश्चात भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई तत्पश्चात अंचल अधिकारी नामकुम द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी, रांची को दिनांक 03.07.2025 को यह अवगत करवाया गया की इस प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वारा न्यायालय उपायुक्त, रांची में SAR अपील वाद संख्या 32/2024-25 दायर किया गया है

सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

1. मामले में शिकायतकर्ता को सुनने के बाद यह संज्ञान में आया की की जब SAR कोर्ट का आदेश जब 11.03.2022 को ही ही पारित किया जा चुका था तद्नुसार अप्रार्थी को 3 बार नोटिस भी दिया जा चुका था तो भी इसमें जिला प्रशासन ने कब्ज़ा दिलवाने में शिथिलता दिखाई है
2. मामले में वाद संख्या 32/2024-25 में उल्लेख किया गया है परन्तु उक्त वाद में सम्बन्धित न्यायालय के द्वारा की गई कार्यवाही के दस्तावेज व् वर्तमान स्थिति का उलेख नही किया गया है अत जिलाधिकारी मामले का जल्द निपटान कर अग्रिम 45 दिवस में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा साथ ही अगली सुनवाई में उपायुक्त रांची से यह अपेक्षा की जाती है की वे व्यक्तिगत उपस्थित रहे

आशा लकड़ा
18/07/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-3698/JH/90/2024-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **15.07.2025 at 12.20 P.M-** खे आदिवासी जमीन पर दखल दिलाने के संबंध में – **श्रीमती नूतन पहान** पति श्री रामचरण पहान, ग्राम-हरातु पोस्ट व थाना-टाटी सिलवे, जिला-रांची (झारखंड) का आयोग में प्राप्त दिनांक 25.10.2024 का पत्र/अभ्यावेदन ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Deputy Magistrate, Ranchi**		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			